डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 मार्च 2001—फाल्गुन 12, शक 1922

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22-2000-वा. कर/पांच.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) यह आदेश विधियों/नियमों का अनुकूलन आदेश (क्र. 28 सन् 2000) कहलाएगा .
   (2) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां/नियम, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों/नियमों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों/नियमों या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों/नियमों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939.
2.	दस्तावेज लेखक लाइसेंस नियम, 1966.
3.	मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1982.
4.	अभिलेख नाशकरण नियम, 1983.
5.	मध्यप्रदेश स्टाम्प रूल्स, 1942 (सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार स्टाम्प रूल्स, 1942)
6.	मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून-मूल्यांकन निवारण नियम, 1975.
7.	मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 16th February 2001

NOTIFICATION

No. F 1-22-2000-Com. Tax./V.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This Order may be called the Adaptation of Laws/Rules Order, 2000 (No. 28 of 2000).
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws/Rules as amended from time to time, specified in the Scheduled to this Order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws/ rules for the words "Madhya Pradesh" wherever they ocur, the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws/rules specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws/Rules (2)
1.	Madhya Pradesh Registration Rules, 1939.
2.	Document Writer Licence Rules, 1966.
3.	Madhya Pradesh Upkar Act, 1982.
4.	Record destruction Rules, 1983.
5.	Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 (Central Provincess and Berar Stamp Rules 1942).
6.	Madhya Pradesh Prevention of under valuation of Instrument Rules, 1975.
7.	Madhya Pradesh Preparation and Revision of Market Value Guide Lines Rules, 2000.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.